न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)
पीठासीन अधिकारीः श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः 98/2024
उनवान

1. उंकारलाल पिता मोगा जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
–: प्रार्थी।

बनाम

1. नाथु पिता कालिया जाति सरगडा निवासी बोरी तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।
2. तहसीलदार, तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

–: अप्रार्थीगण।

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 A राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांकः 16.12.2025

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के मिलकियत व स्वामित्व का खाता संख्या 753 नया, 688 पुराना के सर्वे नम्बर 4471 रकबा 0.11 है. भूमि, वाके ग्राम बोरी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है एवं राजस्व रेकॉर्ड में प्रार्थी व उनकी माता श्रीमती कडवी देवी पत्नी मोगा के नाम से जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थी के खेत से लगा हुआ खेत सर्वे नम्बर 4468 रकबा 0.19 है. भूमि पूर्व दिशा में स्थित है जिसके खातेदार कमला पत्नी वेलजी के नाम से दर्ज रेकॉर्ड है एवं प्रार्थी के खेत से लगा हुआ दक्षिण दिशा में अप्रार्थी सं. 1 का खेत सर्वे नम्बर 4470 रकबा 0.0700 हे0 भूमि स्थित है तथा कमला पत्नी वेलजी के सर्वे नम्बर 4468 तथा प्रार्थी के खेत सर्वे नम्बर 4471 व अप्रार्थी का खेत सर्वे नम्बर 4470 के आगे जाने हेतु एक रास्ता आराजी सर्वे नम्बर 4469 रकबा 0.0500 हे0 रास्ता दर्ज रेकॉर्ड है एवं उक्त रास्ते की भूमि से प्रार्थी गांव की सडक पर आता जाता है। अप्रार्थी सं. 1 ने प्रार्थी के खेत सर्वे नम्बर 4471 का पुराना समानांतर नम्बर 3771 है तथा सेटलमेंटी नक्शे व नये नक्शे में उक्त रास्ते को दर्शाया गया है तथा उक्त नक्शे में प्रार्थी, अप्रार्थी सं. 1 व कमला पत्नी वेलजी के आगे सर्वे नम्बर 4469 रकबा 0.05 हे0 रास्ता है और उसके आगे गांव की सड़क है लेकिन अप्रार्थी अपने खेत सर्वे नं. 4471 के पास की ओर से जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है और अवरुद्ध कर उस पर लकडी व कांटे का जाल बिछा दिया है, जिससे प्रार्थी अपने मकान में आना–जाना, बैलगाडी ले जाना व वाहन लाना ले जाना अवरुद्ध हो गया है। प्रार्थी कई वर्षो से बापदादाओं के समय से अपने मकान में आने जाने वाला मार्ग से आना जाना कर रहा है तथा हल–बैल, ट्रेक्टर, मोटरसाईकिल आदि इसी रास्ते से उपयोग उपभोग कर रहा है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 पिछले 4–5 वर्ष से उक्त रास्ते को अवरुद्ध कर प्रार्थी के आने जाने में रुकावट उत्पन्न कर दी है जिससे प्रार्थी अपने खेत से सरकारी रास्ते एवं गांव के रास्ते से आना जाना नही कर पा रहा है। प्रार्थी के आने जाने का एकमात्र रास्ता पूर्व की तरफ है एवं उसके अलावा अन्य कोई मार्ग नही है तथा अप्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि में कांटे व लकडियां रख देने से प्रार्थी व उसका परिवार उसकी सुविधा से वंचित हो गया है, उक्त सुविधा तत्काल उपलब्ध नही होने से प्रार्थी को आर्थिक नुकसान हो रहा है तथा प्रार्थी के आने जाने व पशुओं को ले जाने व ट्रेक्टर, हल–बैल लाने में कठिनाईयां हो रही है जिस कारण प्रार्थी को प्रतिवर्ष 20–25,000/– रुपयों का नुकसान होता है एवं अप्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि को अवरोध करने से बडी कठिनाईयों का सामना करना पडता है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्वयं का

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:35:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

मकान और उसके दक्षिण में नाथु का मकान, पूर्व में अमकान, पश्चिम में कमला पत्नी वेलजी तिरगर का यशवन्त पिता कमलेश का मकान, उत्तर में रुपलाल पिता नगजी का मकान एवं 20 फीट चौडा रास्ता पूर्ववृत कायम है उसको अवरुद्व न करे, प्रार्थी के खेत सर्वे नम्बर 4471 के आगे रास्ता सर्वे नम्बर 4469 जो रास्ता कायम है उससे प्रार्थी गांव की सडक पर आने जाने में अप्रार्थी सं. 1 रुकावट पैदा नही करे तथा उक्त रास्ते की भूमि में कांटे, लकडी से उक्त [illegible] नही करे एवं रास्ता हमेशा 20 फीट चौडा रखे इस हेतु प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 A के तहत् पेश हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:35:15 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री दुष्यन्त जोशी अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थी संख्याा 01 ने जवाब पेश कर कथन किया कि आराजी सर्वे नम्बर 4470 रकबा 0.07 हेक्टर में अप्रार्थी का मकान बना हुआ है और शेष जमीन आंगन एवं खला के रूप में दर्ज रेकार्ड है और वहा किसी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है। अप्रार्थी का खला एवं मकान आराजी सर्वे नम्बर 4470 मे बना है ना की 4471 पर, 4470 आराजी सर्वे नम्बर में किसी प्रकार का रास्ता दर्ज रेकार्ड नही है और मौके पर 10 फीट का रास्ता मौजुद है। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी कर रहा है। मौके पर रास्ता जो पुराना पैतृक मौजुद है उसमें किसी प्रकार का अवरोध नही है। अप्रार्थी के द्वारा अपने खातेदारी भूमी आराजी सर्वे नम्बर 4470 रकबा 0.07 हेक्टर जिसमे उसका निजी मकान एवं खला बना हुआ है जिसके चारो तरफ बाऊण्ड्री एवं बागड बनी हुई है। प्रार्थी का मौके पर जो रास्ता मौजुद है वह 10 फीट चौडा है। जिसका उपयोग वह कर रहा है और उक्त रास्ते पर कोई अतिक्रमण नही है और पूर्व में मौजूद रास्ता को चौडा करने हेतु उक्त धारा 251 A रा.का.अ. मे कोई प्रोवीजन नही है। रास्ता बिलकुल नही हो तो उसे रास्ता दिलवाने का प्रोविजन 251 A रा.का.अ. मे है । जो विधि की भुल के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है जो क्षम्य नही है। मौके पर 10 फीट चौडा रास्ता बना है और दुसरी ओर श्रीसरकार भूमी स्थित है। जहा से 10 फीट का रास्ता बना है। प्रार्थी बेवजह अप्रार्थी की खला भूमि जिसमें मकान बना है मे से रास्ता निकालना चाहता है। जो उसके निजी जीवन को प्रभावित करेगा और नीजता को खतम करेगा । पुर्ववत रास्ता की बहाली हेतु प्रार्थना पत्र गलत तथ्यो पर पेश किया है। मौके पर 10 फीट का रास्ता है। जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी स्वयं कर रहा है व 4470 रकबा 0.07 हेक्टर मे अप्रार्थी का निजी मकान बना हुआ है। उसकी भूमि में दुबारा रास्ता निकाला जाता है तो अप्रार्थी को भारी नुकसान के साथ उसका निजी जीवन भी प्रभावित होगा। प्रार्थी द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे प्रार्थना पत्र पेशकर अनुतोष मांगा है जो न्यायोचित नही है। प्रार्थी अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को विधि की भुल कर पेश किया गया है जो काबील खारीज है और मौके पर मौजूद रास्ते पर किसी प्रकार का अवरोध नहीं है और धारा 251 A रा.का.अ. में 10 फीट के रास्ते को 20 फीट चौडाकर देने का कोई प्रोविजन विधि सम्मत नही है। लिहाजा प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी से रिपोर्ट ली जाने पर तहसीलदार, गढ़ी द्वारा रिपोर्ट पेश कर कथन किया कि प्रार्थी की कृषि भूमि एवं मकान में आने–जाने हेतु रास्ता वर्तमान में बना हुआ है एवं आना–जाना हो रहा है। प्रार्थी के घर जाने हेतु मुख्य कच्ची सड़क से खसरा न. 4469 रकबा 0.05 हे. किस्म रास्ता श्री सरकार भूमि में 10 मीटर लम्बाई एवं 3 मीटर चौड़ाई में एक अन्य कच्ची सड़क जा रही है एवं कमला पत्नि वेलजी जाति सरगड़ा के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड भूमि खसरा न. 4468 रकबा 0.16 हे. किस्म आबादी में 10 मीटर लम्बाई व 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता जा रहा है। इस तरह उक्त दोनो खसरो में से होकर वादी उंकारलाल तिरगर के घर कुल 20 मीटर

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

लम्बाई की सड़क जा रही है। प्रतिवादी नाथू पुत्र कालिया तिरगर जाति सरगड़ा की खातेदारी भूमि मे से कच्ची सड़क नहीं निकलना बताते हुऐ रिपोर्ट मय जमाबंदी संवत 2075–78 व ट्रेस नक्शा पेश हुआ।

प्रकरण में दोनो पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र व संलग्न दस्तावेजो, अप्रार्थी की ओर प्रस्तुत जवाब तथा भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की भूमि सर्वे नम्बर 4471 तक आने–जाने हेतु रास्ता पहले से मौजुद है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.12. .2025 को सरे ईजराय सुनाया गया।

(श्रवण सिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:35:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner